



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 1990/भाद्र 21, 1912
No. 394] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 1990/BHADRA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1990

मा. का. नि. 775(अ) :—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38)
की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सीमा शुल्क समाहर्ता, न्यू कांडला को, कांडला पत्तन में
सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उप सीमा शुल्क समाहर्ता, न्यू कांडला के

स्थान पर न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परतन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 428(अ) दिनांक 31 मार्च, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 5 के सामने “उप सीमा शुल्क समाहर्ता, न्यू कांडला” शब्दों के स्थान पर “सीमा शुल्क समाहर्ता, न्यू कांडला” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. पी टी - 18011-4/89/पी टी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 1990

G.S.R. 775(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints Collector of Customs, New Kandla as a trustee on the Port of Kandla to represent Customs Department vice Deputy Collector of Customs, New Kandla and makes the following amendment in the Notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 428(E) dated 31st March, 1990 namely :—

In the said notification again t serial No. 5 for the words ‘Deputy Collector of Customs, New Kandla’ the words ‘Collector of Customs, New Kandla’ shall be substituted.

[No. PT-18011-4|89-PT]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.